IDFC

प्रेस विज्ञप्ति

इंडियन रूरल डेवलपमेन्ट रिपोर्ट २०१२/१३ प्रकाशित किया गया

२६ सितम्बर २०१३, नई दिल्ही: इन्डियन रूरल डेवलपमेन्ट रिपोर्ट २०१२ । १३ को, आज श्री जयराम रमेश, माननीय मंत्रीश्री ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, प्रकाशित किया गया / रिपोर्ट को IDFC के फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है। इस में नेटवर्क पार्टनर्स का, सेन्टर फॉर इकोनोमिक एन्ड सोश्यल स्टडीस (CESS), इंस्टिट्यूट ऑफ रूलर मेनेजमेन्ट, आनंद (IRMA) और इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ओफ डेवलपमेंट रिसर्च (IGIDR), कुछ अन्य संशोधकों, अपने विषय के विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के ओरगेनाइज़ेशन का सहयोग भी लिया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर मिहीर शाह, सभ्य- प्लानिंग कमीशन ने एक विशेष संबोधन किया। डॉक्टर राजीव लाल, एक्ज़िक्यूटीव चेयरमेन, IDFC ने रिपोर्ट के मुख्य एवं महत्वपूर्ण मुद्दों कि चर्चा की| प्रकाशन विधि के बाद, एनीमेटेड पेनल चर्चा रखी गई। जिसका विषय है, 'ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा देना: क्या किया जा सकता है?'

रिपोर्ट के विशलेषण से आरंभ कर इस बात पर चर्चा की गई कि, सरकारी कार्यक्रम अपनी योजनाओ के लक्ष प्राप्त करने में क्यों सफल नहीं होते, श्री जयराम रमेशजी ने कहा कि, *"हमें निरंतर मुल्यांकन करते रहना चाहिए, और फीडबेक लेते रहना चाहिए जिससे हमारे ग्रामीण कार्यक्रम बहेतर हो सकें। इसके लिए हम एक स्वायत्त,सर्व संमत मुल्यांकन ऑफिस बना रहे है।"*

रिपोर्ट में बताया गया है कि, कार्यक्रम के परिणाम लंबे समय तक काम नहीं देते, अर्थात उसमे टिकावपन नहीं होता। डॉक्टर मिहीर शाह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि, "*ग्रामीण जीवन में जल केंद्र में है, क्यूंकि उनके जीने के लिए जल अति आवश्यक है। और उनके रोज़गार के लिए भी अतिआवश्यक है। इसके लिए जल का व्यवस्थापन सम्पूर्ण रूपसे सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सरकार के संबधित विभागों के बीच संकलन होना चाहिए। और समुदायका सहयोग भी लिया जाना चाहिए।"*

डॉ.राजीव लालने कुछ गंभीर चुनोतियों के नए उपाय बताते हुए कहा के, *"ग्रामीण विस्तारों के लोगोंकी अपेक्षाओं और उपभोक्ता के प्रमाण में बढ़ोतरी हुई है, हम हमारे ग्रामजनो को बुनियादी सहुलतों से वंचित नहीं कर सकते, और उनके अवसरों को बढ़ाने में निष्फल नहीं हो सकते। हमारे कार्यक्रमों से उनके रोज़गार प्राप्ति के अवसरों में बढ़ोतरी हो"*

इस रिपोर्ट में भारत के ग्रामीण विस्तारों का व्यापक और समाविष्ट चित्र दिया गया है। जिस खास विषयो पर चर्चा, विविध संभंधित विषयों पर विस्तृत विष्लेषण, उस विस्तार में जो असमानताएं हैं और जो कमियां हैं, उनका उल्लेख किया गया है, उनके रोजगार के प्रकार, कुदरती स्रोतों के टिकाऊपन और राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बदलते हुए किरदार की

IDFC Limited The Capital Court, Olof Palme Marg, Munirka, New Delhi 100067
Registered Office: KRM Tower, 8th Floor, No:1, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 6000 031

चर्चा कि गई है। इसमें केंद्र सरकार के सभी मुख्य ग्रामीण कार्यक्रम / योजनाएं और विशेष तौर पर सबसे उपर MGNREGA का उल्लेख किया गया है। नीति बनाने वालों के लिए, राज्य सरकारों के लिए और स्थानिक प्रशासन, संशोधकों और निजी क्षेत्र के लिए जानकारी का एक बहुमूल्य श्रोत है।

- रिपोर्ट में फार्म/खेती विकास के द्वारा रोजगार में बढ़ोतरी करने पर वज़न दिया गया है।
  - खेती से होने वाली आय, वह जीवन गुज़ार ने के लिए पर्याप्त नहीं है। विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जिनके पास ८५% खेती की ज़मीन है, और सुखी ज़मीनके किसानों के लिए जिनके पास आधे से अधिक खेती की जमीन है।
  - उनके लिए नए प्रकार की फ़सलों के मोडल को प्रोत्साहन देना होगा। और परंपरागत अनाज जो सुखी जमीन में उगाए जा सके उन को बढ़ावा देना होगा। अनाज के विविध प्रकार की खेती की जाए। जो hardy और पोषक हों। इनके उत्पादनों को किसानोंसे प्राप्त कर सार्वजनिक वितरण पद्धती द्वारा वितरण करना चाहिए, जिससे किसानोंको बढ़ावा मीले।
  - विविध प्रकार की सयुंक्त खेती से भी किसानों को लाभ होता है, जिससे इनके उत्पादन के प्रमाण की समस्या, ज़मीन कीi असुरक्षाका डर, और कर्ज़ मिलने में समस्या जैसी, समस्याओं का सामना न करना पड़े। उत्पादनोंका बेचना, और उत्पादनोंका संग्रह जैसी तकलीफोंसे जुझना नहीं पड़ता।
  - आंध्र प्रदेशमें करीब २० लाख किसान इस प्रकारकी संयुक्त खेतीकी टिकाउ पद्धति (CMSA) को अपना कर, अपना उत्पादन खर्च घटानेमें कामयाब रहे हैं। और ज़मीन की गुणवत्ता को भी बचा सके हैं। क्युंकी वे रासायनिक खाद का उपयोग, खेत उत्पादनों को बढ़ाने या उन्हें बनाये रखने के लिए नहीं करते।
  - खेती में पानी का क्षमतापूर्वक उपयोग हो, यह भी आवश्यक है, क्योंकि ८०% पानी का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। पानी को समुदाय की संपत्ति समझा जाना चाहिए। और भूमि के उपर और भूमि के अन्दर के जल का उपयोग व्यापक तौर पर सभी उपयोगों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। और इसका व्यवस्थापन शिस्त बद्ध तरीके से होना चाहिए।
- बिन-खेती व्यवसायों को बढ़ावा देना आवश्यक है। ग्रामीण परिवारों के ४३% परिवार बिन-खेती व्यवसायों पर निभते हैं।
  - भारत के ग्रामीण परिवार अनेक प्रकार के व्यवसायों से जुड़े होते हैं, जिन को वे अपने खेतों के कामों से जोड़ लेते हैं। इसके साथ वे दूसरों के खेतों पर, पशुपालन और बिन-खेती व्यवसायों के लिए दूसरे गाँवों, नगरों और बड़े शहरों के ओर स्थानांतर भी करते हैं।
  - बिन-खेती व्यवसायों में आय अधिक मीलती है, और पिछड़े वर्गों को खेत मज़दूर की पहेचान से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। यह भी देखा गया है कि बिन-खेती के कामों कि आय से, खेती के व्यवसाय कि भी आय बढ़ी है।

- बिन-खेती व्यवसाय मुख्य रूप से छुट-पुट (Casual) प्रकार के होते हैं, जैसे के निर्माण क्षेत्र और व्यापर क्षेत्र, उत्पादन लक्षी व्यवसाय भी समय के साथ बढ़ रहे हैं। इससे कामदारो में व्यवसाय की सुरक्षा नहीं रहेती। और पारंपरिक रोज़गार के लाभ भी नहीं मिलते हैं।
- बिन-खेती व्यवसायों में आने वाली रुकावटों को दूर करने के उपाय करने होंगे, जिसमें ऋण मिलने में बाज़ार व्यवस्था और और व्यवसायिक कुशलता की बाधाओं को दूर करना होगा। कुशलता की तालीम के लिए वित्तीय व्यवस्था कारण कठिन है, तालीम लेने वालों को नौकरी की गैरंटी, अच्छे पगार, और नौकरी दाता को व्यक्ति कि कुशलता कि तालीम अपने व्यवसाय के अनुरूप न लगे, या व्यवसाय में लंबे समय तक नौकरी में रख नहीं पाते। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कि आवश्यकता है, जिन में इन समस्याओं का हल हो।
- हाल में सरकार ने "आजीविका" का आरंभ किया है। जिस में व्यावसायिक कुशलता का विकास, व्यापार-व्यवसाय के ढाँचे को सशक्त बनाने में सही देना और SMG द्वारा वित्तीय व्यवस्था, छोटे व्यवसाय तैयार करना,

- गरीबी कम हो रही है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में और सामाजिक समूहों में सीमित है।
  - १९९३-९४ में सात राज्यों में ५०% ग़रीब ग्रामीण बसते थे, यह राज्य है - झार खंड, बिहार, आसाम, उड़ीसा, छत्तीस गढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यह संख्या २०११-१२ में बढ़कर ६५% हो गई है, हालां कि बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जैसे राज्यों में वर्ष २००९-१० से गरीबी उल्लेखनीय प्रमाण में घटी है।
  - यह राज्यों में राजस्थान के साथ, शिक्षा का स्तर बहुत कम है, बच्चों और माताओं के आरोग्य का स्तर भी कम है, और आम तौर पर आरोग्य सेवाऐं बहुत कमज़ोर हैं।
  - केवल १८% ग्रामीण परिवारों को यह तीनों सुविधाऐं उपलब्ध हैं - पीने का पानी, घर के समीप, स्वच्छता और बिजली - २०% परिवारों को इनमें से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
  - राजस्थान के कुछ ज़िलों में यह तीनों सुविधाऐं हैं और आसाम सहित सात राज्यों में उपलब्ध हैं। धनवान राज्यों के कुछ पोकेट्स में भी यह सुविधाऐं नहीं हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्णाटक, जो अधिकतर सूख विस्तार है।
  - अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोगों में ग़रीबी अधिक है, जिससे आर्थिक, सामाजिक और राजकीय क्षेत्रों में उनकी हिस्सेदारी कम होती है। वर्ष २००९-१० में ग्रामीण ग़रीबों में SC/ST ४४% हैं।
  - प्रगतिशील कानून होते हुए भी, SC/ST को निरंतर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन लोगों में कुपोषण, छोटी उमर में बच्चों की मौत, और सार्वजनिक आरोग्य सेवाओं की अनुपलब्धि जैसी समस्याएँ अधिक हैं। इनमें जनजातियों की स्थिति और भी बुरी है।
- सरकार द्वारा किया जा रहा खर्च - उत्पादन - बढ़ाने, और ढांचाकिय सुविधाओं के विकास में किया जाए यह, उन्हें सबसीडी देने की तुलना में अधिक आवश्यक है।

- गाँव के साथ संपर्क के मार्गों में सुधार हुआ है। ख़ास कर, मार्ग, बिजली और संदेश-संचार सुविधाओं का विकास हुआ है। हाँ, यह सच है कि, सरकारी ख़र्च की तुलना में सुविधाओं का विकास बहुत कम है। निवास की सुविधा बहुत कमज़ोर है, ख़ास तौर पर कमज़ोर वर्गों के लिए और ढांचाकिय सुविधाएं भी हल की गुणवत्ता की अधूरी, बिन-उपयोगी या उनकी कोई देख-भाल ही नहीं की जाती है।
- सभी गाँवों को बिजली से जोड़ा गया है। किंतु ४५% ग्रामीण घरों में बिजली नहीं है। बिजली की आपूर्ति भरोसेमंद नहीं है। जल आपूर्ति भी उपलब्ध नहीं है या तो पानी बहुत दूषित है। ७०% घरों में शौचालय नहीं हैं।
- शिक्षा, पोषक आहार और आरोग्य सेवाऐं भी, सरकारी कर्मचारी की कमी के कारण नहीं के बराबर मिलती हैं, जिसके कारण परिणाम भी अच्छे नहीं होते।
- पिछले अनुभवों से सीखना और सरकारी अभिगम बदलाव होना चाहिए, जिसमें नीचे के मुद्दे शामिल हों। :

    - मिलकतों की सामुदायिक मालिकी : कुछ समुदायों ने सफलता पूर्वक पीन के जल की गुणवत्ता, सबको समान आपूर्ति हो और निर्माण की गई मिलकतों को सँभाला जाए इसके लिए काम किया है।

    - देखभाल रख-रखाव : PMGSYने सभी ऋतुओं में उपयोगी हों ऐसे रोड बना दिए हैं, और उनके रख-रखाव का कोन्ट्राक्ट भी दिया जा सकता है। राज्यों को मार्गों के रख-रखाव के लिए अलग से फंड रखना चाहिए।

    - अभिगम में तबदीली वर्ष २०११ के सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना में वंचित होने के चिह्नों पर जानकारी एकत्रित की गई है, और उसे ग्राम सभा द्वारा दोबारा जांचा गया है।

    - स्थानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य और PRIs की योजनाओं में बहुत लचकता रखनी होगी।

    - संस्थाकिय fragmentation को रोकने के लिए, मंत्रालयों और राज्यों और स्थानिक प्रशासनों के बीच योजनाओं के अमल के कार्य में घनिष्ठ संकलन आवश्यक है।

    - संभव हो, वहाँ पर निजी प्रावाधानों को प्रोत्साहित किया जाए : जिस प्रकार शहरी विस्तारों में संदेश-संचार के क्षेत्र में स्पर्धात्मकता है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए जिससे ग्रामीण विस्तारों में पोषण क्षम संचार-सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए युनिवर्सल सर्विस ओष्लीगेशन फंड का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे निजी क्षेत्र की स्पर्धा का लाभ ग्रामीण संचार सेवा को हो।

    - सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में पारदर्शिता और जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए, सोश्यल ओडिट और जनता द्वारा अर्थात् ग्राम सभा द्वारा जाँच की जानी चाहिए। काम के आधार

पर प्रोत्साहन देने की नीति को बढ़ावा और नगद सहाय शर्तों के आधार पर देना, इन उपायों से भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

- पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) को अधिक जन भागीदारी और स्रोतों का क्षमतापूर्वक व्यवस्थापन करना चाहिए, परंतु विविध कारणों से वे इस तरह नहीं कर पा रहे हैं।
    - राज्यों को अधिक फंड का आबंटन करना, सहायक कर्मचारी गण और काम और पँचायत की संस्थाओं को नियमित रूप से फंड उपलब्ध कराना चाहिए। वे स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी सोंपे, जिससे अन्य एजन्सीयों के साथ, काम में गड़बड़ न हों और पंचायती राज की संस्था की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो।
    - स्थानिक लोगों की दखल और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ग्राम सभा में जागृति लाई जाए।
- MGNREGA से २५% ग्रामीण परिवारों को वर्ष मे, ४०-५० दिन का रोज़गार प्राप्त हुआ है। यह कार्यक्रम भारत के इतिहास में सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम है।
    - स्व-लक्ष ने कुछ हद तक काम किया है, क्योंकि इस योजना से ग़रीब और वंचित परिवारों, महिलाओं और अनुसूचित जाति और जन-जाति को अधिक लाभ हुआ हैं।
    - इससे महिलाओं की अधिकारीता बड़ी है, क्योंकि समान वेतन से रोज़गार मिलता है, MGNREGS के अंतर्गत रोज़गार पाने वाली व्यक्तियों में ५०% महिलाऐं हैं।
    - इस योजना से गरीबी कम हुई है, सीधे तौर पर अन्य तौर पर कृषि व्यवसायों में भी वेतन दर बढ़ाने में सहाय मिली है।
    - परंतु इस योजना में ज़रूरतमंदों का समावेश कम हुआ है (उनमें काम की मांग थी तब भी ख़ास कर उन राज्यों में जहाँ गरीबी का प्रमाण अधिक है। इसका कारण वहाँ का कमजोर प्रशासन है। दूसरी समस्या काम देने में और वेतन देने में विलंब होता है। और ऐंजीनीयरींग स्टाफ की भी कमी रहती है।
    - MGNREGA में अधिक क्षमता है, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली मिलकतें तैयार की जा सकती हैं, और ग्राम सभा का इसमें अधिक असर और नियंत्रण रहता है, जिससे स्थानिक प्रशासन को शक्ति मिलती है।